

## सुरोगेसी वधियक (नयिमन), 2016 में आधकिरकि संशोधन

### चरुचर में कयों?

प्रधरनमंत्री नरेंद्र मोदी की अधयकषतल में केंदरीय मंत्तरमिंडल ने सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में आधकिरकि संशोधन हेतु सुवीकृत दी है। सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में भरत में राष्ट्ररीय स्तर पर राष्ट्ररीय सुरोगेसी बोरुड, ररुज्यों और केंदरशरसति प्रदेशों में ररुज्य सुरोगेसी बोरुड तथर उचति प्ररधकिरण स्थरपति करके सुरोगेसी को नयिमों के दरयरे में लरने कल प्रस्तलव कयल गयर है।

### प्रमुख बदि

- प्रस्तलवति वधियक में सुरोगेसी कल कररगर नयिमन, वरणजियकि सुरोगेसी नषिध तथर प्रजनन कषमतल से वंचति भरतीय दंपतयियों को परोपकररी सुरोगेसी की अनुमतल सुनश्चिति की गई है।
- इस वधियक के संसद दररर पररति होने के बरद राष्ट्ररीय सुरोगेसी बोरुड कल गठन कयल जररगल। केंदर सरकर दररर अधसूचनल जररी कयल जरने के तीन महीने के भीतर ररुज्य और केंदरशरसति प्रदेश ररुज्य सुरोगेसी बोरुड और ररुज्य कल उचति प्ररधकिरण गठति करेंगे।

### इसकल प्रभरव कयर हुरुगल?

- इन संशोधनों के प्रभरवी होने पर यह अधनयिम देश में सुरोगेसी (कररिए की कोख) सेवलओं कल नयिमन करेगल, सुरोगेसी में अनैतिकि वयवहररों को नयितरति करेगल, कररिए की कोख कल वरणजियकिकरण रोकेंगल और सुरोगेसी से मरं बनने वरली महललरओं एवं सुरोगेसी से पैदल होने वरले बचुचों कल संभरवति शोषण रोकेंगल।
- वरणजियकि सुरोगेसी नषिध में मरनव भूरूण तथर युगमक की खरीद और बकिरी जैसे पकषों को शरमलि कयल गयर है।
- इसके अतरकिरिक्त प्रजनन कषमतल से वंचति दंपतकी आवश्यकतल को पूरल करने के लयि नश्चिति शरर्तों को पूरल करने पर तथर वशिष उददेश्यों के लयि नैतिकि सुरोगेसी की भी अनुमतल दी जररगी।
- इससे नैतिकि सुरोगेसी सुवधि के इचुछुक प्रजनन कषमतल से वंचति वविहति दंपतयियों को लरभ हुरुगल।
- इसके अतरकिरिक्त सुरोगेसी से मरतल बनने वरली महललरओं और सुरोगेसी से जनू म लेने वरले बचुचों के अधकिररों की भी ररकषल की जररगी।
- यह वधियक जममू और कश्मीर ररुज्य को छुडकर पूरे भरत में लरगू हुरुगल।

### पृष्ठभूमि

- वभिन्न देशों से दंपतल भरत आते हैं और भरत सुरोगेसी केंदर के रूड में उभरल है। लेकनि अनैतिकि वयवहररों, सुरोगेसी प्रकररयल से मरतल बनने वरली महललरओं कल शोषण, सुरोगेसी प्रकररयल से जनू लेने वरले बचुचों कल परतियरग और मरनव भूरूण तथर युगमक लेने में बचौलयियों की धुखरधुड की घटनाएँ चतलजनक हैं।
- भरत के वधिआयुग की 228वीं रपुीरुट में वरणजियकि सुरोगेसी के नषिध और उचति वधियी कररुय दररर नैतिकि परोपकररी सुरोगेसी की अनुमतलकी सफिररशि की गई है।
- सुरोगेसी (नयिमन) वधियक 21 नवंबर, 2016 को लोकसभल में पेश कयल गयर, जरसि 12 जनवररी, 2017 को सुवलस्थुय एवं परवरर कलुयरण मंत्तरलल दररर संसद की स्थरयी समतिल को भेजर गयर।
- संसद की स्थरयी समतिल दररर हतिधररकों, केंदर सरकर के मंत्तरलल/वभिगों, सुवयंसेवी संगठनों, चकितिसल कषेत्तर के पेशेवर लुरुगों, वकीलों, शोधकररुतलओं, परवररुतक अभभरवकों तथर सुरोगेसी से मरतल बनने वरली महललरओं के सध वचिर-वमिरुश कयल गयर और उनके सुझरव प्रररुत कयल गयर।
- सुवलस्थुय एवं परवरर कलुयरण मंत्तरलल से संबंधति संसद की स्थरयी समतिल की 102वीं रपुीरुट ररुज्यसभल और लोकसभल में एक सध 10 अगस्त, 2017 को पटल पर ररखी गई।

### सुरोगेसी कयर है?

- सुरोगेसी एक महललर और एक दंपतल के बीच कल एक समझुीतल है, जो अपनी सुवयं की संतलन चरहतल है।
- सलमरनय शबुदों में सुरोगेसी कल अरुथ है कल शिशु के जनू तक एक महललर की 'कररिए की कोख'। प्ररर: सुरोगेसी की मदद तब ली जरती है जब कसिी दंपतल को बचुचे को जनू देने में कठनरई आ ररही हो।
- बर-बर गरुभपलत हो ररहल हो यल फररि बर-बर आईवीएफ तकनीक असफल हो ररही हो। जो महललर कसिी और दंपतल के बचुचे को अपनी कोख से जनू देने को तैयर हो जरती है उसे 'सुरुगेट मदर' कल जरतल है।
- भरत में सुरोगेसी कल खरुचल अनूय देशों से कई गुनल कम है और सध ही भरत में ऐसी बहुत सी महललरएँ उपलबुध हैं जो सुरुगेट मदर बनने को आसरनी से

तैयार हो जाती हैं।

- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल तो होती ही है, साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुवधा कुछ वशिष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लीनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दशा-नरिदेशों पर अमल करती हैं।

## सरोगेसी बलि, 2016

- वर्ष 2002 से लागू सरोगेसी बलि के बाद सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान था, लेकिन यह प्रतर्बिध केवल वदिशी सरोगेसी पर लगाया गया था। पहले कुछ अस्पताल ऐसी महिलाओं के संपर्क में रहते थे, जो पैसे लेकर किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार होती हैं।
- इस व्यापारिक धंधे को नयित्रण में लाने के लिये केंद्र सरकार ने सरोगेसी का नया बलि पेश किया था, जिसके अनुसार सरोगेट मदर को पहले से ही शादीशुदा होना और एक बच्चे की माँ होना भी ज़रूरी था।
- सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसके संपर्क में रह सकती थी। साथ ही अववाहति दंपति, एकल माता-पति, लवि-इन पार्टनर और समलैंगिक लोगों को सरोगेसी सेवाएँ न देने का प्रस्ताव था।
- 2016 के बलि के अनुसार, दंपति के लिये खुद को प्रसव के लिये अक्षम साबति करना और भारतीय होना अनवार्य था। सरोगेट माँ को दंपति का करीबी रशितेदार होना भी ज़रूरी था।
- दंपति की शादी को कम-से-कम 5 साल पूरे हुए हों और पत्नी की उम्र 25 से 50 साल तथा पति की उम्र 26 से 65 तय की गई थी। स्वास्थ्य को प्राथमकता देते हुए सरोगेट मदर की उम्र 25 से 35 साल तय की गई थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-moving-official-amendments-in-the-surrogacy-regulation-bill-2016>

